


शिवलहरी / मंगलिया

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
29.5.18	<p>पत्रावली केवा इई) सल्लिने रिपोर्ट डा अवलोकन बिया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली के साथ संलग्न स्वगत घाघीना - फर (अपी० अत्रि० की स्वपक्षीय बहस सुनी गई। घाघी द्वारा उदरण की आनवारी न लेना स्व दिनांक 23.05.18 के नोटिस के द्वारा आनवारी लेना/संज्ञान में आना बताया जाया है। चूंकि डारमिड डिग्री दिनांक 09.06.17 को की जा चुकी है। किंतु पत्रावली में कुरें व बटंपारा स्वीय के बारे में कोई उल्लेख नहीं आया है। चूंकि वर्तमान में घाघी को नोटिस संज्ञान में आ चुका है। अतः आदेश दिया जाता है कि कुरें जान जारी करने के दौरान घाघी मोठे पर रचना सुनिश्चित करें तथा अपने उज्जात आदि से पीछासीन (अधिकारी को अपगत करावे। उज्जात न सुने जाने की स्थिति में ही आगाही कार्यवाही करे। अतिरिक्त - न्यायालय उपरषण्ड (अधिकारी निजारा को भी उदरण परिप्रेषित (Remand) करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनकर ही अन्तिम निर्णय पारित करें। पत्रावली केवल शुभार होकर, नखर से बस की जाकर बाद लवकील आबता वाकिल वकालत की जावे।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>	